

डिक्री व मुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां रांहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 478/2025

1. सुखवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा
2. कुलवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा
3. जयदीप सिंह पुत्र बेअन्त सिंह सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा वादीगण

बनाम्


1. अमरदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह उर्फ पाल सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा
2. कर्मदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह उर्फ पाल सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा
3. गुरसेवक सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा
4. सुखजिन्द कौर पत्नी हरपाल सिंह उर्फ पाल सिंह जाति जटसिख निवासी खैरुवाला तह. सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल रूपाणा प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सूच वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 27 एएमपी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण को प.न. 102/163 मु.न. 31 किला नम्बर 13/0.152, 14/0.253, 17/0.253, 18/1/0.025, 24/0.126 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित प्रतिवादीगण का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर वादीगण का खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट:- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत्......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...3.2.2025...को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया